प्र.सं. ...../ दावा / प्र.पत्र / .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23/12/25	वकुलाए उप0। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आधिपत्य एवं स्वामित्व की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0सं0 614/107 रकबा 1.9830 हेक्टे0 वाके ग्राम तालेडा पटवार मण्डल तालेडा तह0 तालेडा में 1/7 हिस्सा निहित है, शेष भूमि पर प्रतिवादीगण का हिस्सा भी निहित है। जिस पर सहखातेदार की हेसियत से पक्षकार काबिज कास्त है। इसी प्रकार खाता सं0 275 खसरा सं0 606/101 रकबा 0.8094 हैक्टैयर वाके ग्राम तालेडा व खाता सं0 97 खसरा सं0 605/101 रकबा 1.5621 हैक्टेयर वाके ग्राम तालेडा जो कि अप्रार्थी सं0 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। ख0सं0 606/101 व 605/101 के पूर्व खसरा नम्बर 101 है। पारिवारिक सजरा अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मुल पुरूष मोडूलाल आ0 कालू है। ख0सं0 606/101 व ख0सं0 605/101 की भूमि प्रार्थी के पिता के जीवनकाल में ही अप्रार्थीगण को सन 1987–88 में आवंटन हुई थी, आवंटन के बाद व पूर्व से ही वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। पारिवारिक व मौखिक बटवारा के हिसाब से प्रार्थी दोनो ख0सं0 605/101 व 606/101 की कुल भूमि में से 0.4857 हैक्टेयर कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त दोनो ख0सं0 605/101 व 606/101 की कुल भूमि में से 0.4857 हैक्टेयर पर प्रार्थी का कब्जा कास्त होने से प्रार्थी एडवर्स पजेशन के आधार पर वेधानिक स्वामी बन चुका है। इस आधार पर ख0सं0 614/107 की भूमि का बटवारा एवं ख0सं0 605/101 व 606/101 की कुल भूमि में से 0.4857 हैक्टेयर पर प्रार्थी का कब्जा कास्त होने से प्रार्थी एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे। किन्तु उक्त दोनो ख0सं0 605/101 व 606/101 पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में होने से अप्रार्थीगण उक्त भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि 0.4857 हैक्टेयर पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है एवं रहन बय करने हेतु प्रयासरत है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को रहन व बेचान करने पर में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 को ताफैसलावाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी ख0सं0 614/107 में निहित 1/7 हिस्सा व खसं0 605/101 व 606/10 में से 0.4857 हेक्टे0 को अन्य दिगर व्यक्तियो को रहन व बेचान नही करे, खुर्द बुर्द नही करे, प्रार्थी को उसकी भूमि से वंचित नही करे। प्रार्थी के पक्ष में अधिकार घोषणा की डिक्री पारित करे। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर यह वाद पेश किया गया है प्रार्थी का ख0सं0 605/101 व 606/101 मे से 0.4857 हैक्टे0 हिस्सा केसे बना यह अपने वाद पत्र में कही अंकित नही किया गया। पारिवारिक बटवारा अनुसार प्रार्थी के स्वतंत्र हिस्से में आई भूमि को प्रार्थी विक्रय कर चुका है प्रार्थी का वाद वर्णित आराजी ख0 सं0 605/101 व 606/101 मे से 0.4857 हैक्टे0 भूमि पर कोई हक अधिकार नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। बहस उभय पक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी ख0 सं0 614/107 में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा निहित है किन्तु ख0सं0 605/101 व 606/101 भूमि पर प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज नही है केवल मात्र ख0सं0 605/101 व 606/101 मे से 0.4857 हैक्टे0 भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रतिवादीगण खातेदार के विरुद्व अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है , जो कि न्यायोचित प्रतीत नही होता है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा कास्त होना एवं कब से कब्जा कास्त है यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य दस्तावेज एवं कानूनी के आधार निर्धारित होगा। वाद पत्र में कानूनी बिन्दु निहित होने से एवं समय की जटिलताओ के कारण वाद पत्र के निस्तारण में समय लगने की संभावना है तथा कानूनी बिन्दुओ का निस्तारण तनकीयात एवं साक्ष्य प्रलेखित किये जाने के बाद गुण अवगुण पर ही निस्तारित हो सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 1 में वर्णित वाद विषयक आराजी को सरंक्षित मूल वाद के निस्तारण तक रखा जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी खाता सं. 274 ख0सं0 614/107 रकबा 1.9830 हेक्टे0 वाके ग्राम तालेडा पटवार मण्डल तालेडा तह0 तालेडा में 1/7 हिस्सा, खाता सं0 275 खसरा सं0 606/101 रकबा 0.8094 हैक्टैयर वाके ग्राम तालेडा व खाता सं0 97 खसरा सं0 605/101 रकबा 1.5621 हैक्टेयर वाके ग्राम तालेडा के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पक्षकार आपस मे कब्जा कास्त में ना तो स्वयं व्यवधान उत्पन्न करेंगे, ना ही अपने प्रतिनिधी से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।